कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री कन्हैयालाल व अन्य | **विपक्षी** श्री डुंगा व अन्य

कस्म मुकदमा धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम | **प्रकरण संख्या** 74/2022

कार्यवाही विवरण

–::निर्णय::–

दिनांक 20/05/25

उपस्थितः श्री सोहनलाल चौधरी–अधिवक्ता प्रार्थीगण
भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा गींगला पटवार हल्का गींगला तहसील सलूम्बर मे स्थित है जिसका विवरण संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 34 कुल किता 15 रकबा 1.93 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण ने पूर्व में सीमा जानकारी कराई लेकिन विपक्षीगण उक्त को मानने से इन्कार कर दिया जिस कारण से प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडा है। प्रार्थीगण के पडौसी आराजीयात का विवरण प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या 3 अनुसार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 7, 8, 14, 17, 21 से लगायत 23, 25, 29 के गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 22–08–2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर आदेशिका दिनांक 12–05–2025 को विपक्षी संख्या 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 26 से लगायत 28, 30 से लगायत 33 तक के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप की गई। विपक्षी संख्या 34 भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण के आराजीयात की पत्थरगढी की जाती है तो कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही तथा भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर ने बहस मे अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया।

बहस मनन की गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण मौजा एवं पटवार हल्का गींगला तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 34 कुल किता 15 रकबा 1.93 हैक्टेयर भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–:आदेशः–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा एवं पटवार हल्का गींगला तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 34 कुल किता 15 रकबा 1.93 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भूअभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय आज दिनांक 20/05/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(परमजीत आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर